भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3060
उत्तर देने की तारीख : 18.12.2025

एमएसएमई को ऋण वितरण

3060. श्री राजा राम सिंह :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बजट 2025 में की गई प्रमुख घोषणाओं, जैसे बढ़ी हुई ऋण गारंटी, एमई-कार्ड पहल और प्रस्तावित फंड ऑफ फंड्स योजना, के बावजूद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण वितरण में 11% की गिरावट जारी है और ऋण की मांग पूरी नहीं हो पाई है;

(ख) छोटे उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं, जैसे ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी योजना को अचानक रोकने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि एमएसएमई क्षेत्र अभी भी विशेषकर अनौपचारिक समूहों में सूक्ष्म-उद्यमों के लिए ऋण की सुविधा नहीं मिल पाने, नौकरशाही की लालफीताशाही के कारण होने वाले विलम्ब और बिना गारण्टी वाले ऋण के न मिल पाने जैसी कठिनाइयों का सामना कर रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या इस बात पर नज़र रखने के लिए कोई तंत्र मौजूद है कि बजट योजनाओं का लाभ विशेषकर टियर-II/III शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई तक पहुंच रहा है या नहीं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : जी नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को वितरित ऋण ने एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले तीन वर्षों में 15.93% सीएजीआर से बढ़ रही है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

वित्त वर्ष	संवितरित राशि(करोड़ रुपए में)
2022-23	1696738.26
2023-24	2204454.98
2024-25	2643448.95

दिनांक 1 अक्टूबर 2000 को शुरू की गई क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (सीएलसीएस) योजना का उद्देश्य एमएसई को उनके द्वारा लिए गए संस्थागत वित्त पर 15 प्रतिशत की अग्रिम पूंजी सब्सिडी प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) में प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देना था। । यह योजना केवल दिनांक 31.03.2020 तक ही चालू थी। शुरुआत से लेकर अब तक, इस योजना से लगभग 87,989 इकाइयों को कुल मिलाकर 5685.87 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराके लाभान्वित किया गया है। सरकार विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उपकरण/मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जैसे कि पारस्परिक ऋण गारंटी योजना (एमसीजीएस-एमएसएमई) जिसके तहत 100 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा उपलब्ध है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति केंद्र (एनएसएसएच) के तहत विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (एससीएलसीएसएस) आदि।

केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत में लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसमें ऋण तक पहुंच बढ़ाने, उद्यमशीलता को समर्थन देने और क्षेत्र-विशिष्ट पहलों पर जोर दिया गया है। भारत सरकार ने सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ा दिया है, साथ ही ऋण गारंटी सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया है।

भारत सरकार ने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से एमएसई को बिना संपार्श्विक सुरक्षा या तृतीय-पक्ष गारंटी के 10 करोड़ रुपए तक के ऋणों के लिए ऋण गारंटी प्रदान करना।

(ii) आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष की स्थापना लघु एवं मध्यम उद्यमों में इक्विटी निधि के रूप में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए की गई है, जिसमें भारत सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए और निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

(iii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है, जिसमें विनिर्माण के लिए परियोजना लागत 50 लाख रुपए और सेवा उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए है।

(iv) पीएम विश्वकर्मा योजना दिनांक 17.09.2023 को उन 18 पारंपरिक व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं। इस योजना में अधिकतम 8% तक की ब्याज सब्सिडी के साथ 3 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान शामिल है।

(v) व्यवसायों, जिनमें लघु एवं मध्यम उद्यम भी शामिल हैं, के लिए आकस्मिक ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की गई थी, जिसमें 5 लाख करोड़ रुपए तक की ऋण गारंटी प्रदान करने का प्रावधान था। यह योजना दिनांक 31.03.2023 तक चालू थी।

(घ) : लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय देश भर में, जिनमें टियर II/III शहर और ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं, अपनी योजनाओं के प्रदर्शन की निगरानी करता है। इनमें उद्यम पंजीकरण पोर्टल, एमएसएमई समाधान पोर्टल, संबंध पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल और पीएमईजीपी की जियो-टैगिंग जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। हाल ही में, इस दिशा में मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाओं के साथ एपीआई के माध्यम से एकीकृत एमएसएमई डैशबोर्ड शुरू किया गया है।

*****